भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3604

उत्तर देने की तारीख 10 अगस्त, 2026

सोमवार, 19 श्रावण, 1948 (शक)

आंध्र प्रदेश में एनएटीएस डिप्लोमा धारकों की निगरानी

†3604.डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2025-26 के दौरान आंध्र प्रदेश में स्नातक एवं डिप्लोमा धारकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) के कार्यान्वयन की निगरानी की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त राज्य में शिक्षुता के अवसर प्राप्त करने वाले तकनीकी स्नातकों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) गत एक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में सहभागी तकनीकी संस्थानों एवं उद्योगों को वृत्ति प्रतिपूर्ति (स्टाइपेंड रिइम्बर्समेंट) के रूप में कुल कितनी राशि जारी की गई है;

(घ) क्या सरकार ने यह पाया है कि क्षेत्रीय बोर्डों द्वारा अनुदान दावों के निपटान में विलंब होने के कारण सहभागी नियोजकों पर वित्तीय दबाव पड़ रहा है; और

(ङ.) आंध्र प्रदेश में गैर-तकनीकी स्नातक डिग्री धारकों को शिक्षुता व्यवस्था के अंतर्गत शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एनएटीएस) के कार्यान्वयन की निगरानी चार स्वायत्त निकायों के माध्यम से करती है, जिनमें शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर; शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई; व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता और शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षुता प्रशिक्षण के प्रबंधन के लिए एक प्रौद्योगिकी-सक्षम मंच के रूप में एनएटीएस 2.0

पोर्टल शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश में, एनएटीएस का कार्यान्वयन शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) (बीओएटी-एसआर) के माध्यम से किया जाता है, जो शिक्षुओं की नियुक्ति, उद्योग से संपर्क और एनएटीएस कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गतिविधियाँ संचालित करता है। वर्ष 2025-26 के दौरान, आंध्र प्रदेश में कुल 1,851 शिक्षुओं को नियुक्त किया गया, जिनमें 1175 तकनीकी शिक्षु और 676 गैर-तकनीकी शिक्षु शामिल थे।

एनएटीएस के अंतर्गत, स्नातक प्रशिक्षुओं के लिए निर्धारित न्यूनतम मासिक वजीफा 12,300 रुपए और डिप्लोमा प्रशिक्षुओं के लिए 10,900 रुपए है। भारत सरकार अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित न्यूनतम वजीफे का 50% सहायता के रूप में प्रदान करती है। शिक्षा मंत्रालय सत्यापन के बाद प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से वजीफे के वितरण और प्रतिष्ठानों के पात्र प्रतिपूर्ति दावों के निपटान के लिए चार कार्यान्वयन बोर्डों को वजीफे शीर्ष के अंतर्गत अनुदान जारी करता है।

दिनांक 1 नवंबर 2025 से, वजीफे का सरकारी हिस्सा डीबीटी के माध्यम से प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में सीधे अंतरित किया जा रहा है। डीबीटी से पहले, प्रतिपूर्ति मॉडल इस प्रकार थी कि प्रतिष्ठान प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षु प्रशिक्षण के सरकारी हिस्से का भुगतान करते थे और वजीफे के भुगतान की तिथि से तीन वर्षों के भीतर संबंधित प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (बीओटी) से इसके सरकारी हिस्से की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते थे। प्रतिष्ठानों से प्राप्त दस्तावेजों के सत्यापन के बाद संबंधित बीओएटी द्वारा दावों को मंजूरी दी जाती थी। वर्ष 2025-26 के दौरान, आंध्र प्रदेश में भाग लेने वाले उद्योगों को छात्रवृत्ति के रूप में 75.69 लाख रु. की प्रतिपूर्ति की गई।

एनएटीएस के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण में गैर-तकनीकी डिग्री धारकों सहित सभी क्षेत्रों के स्नातकों/डिप्लोमा धारकों की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए, बीओएटी अपने-अपने क्षेत्रों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। बीओएटी एसआर ने करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम, संस्था भ्रमण, शिक्षुता मेले और प्लेसमेंट अधिकारी संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। इसके अलावा, बीओएटी (एसआर) ने आंध्र प्रदेश राज्य में शिक्षुता-आधारित डिग्री कार्यक्रम (एईडीपी) के तहत विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के साथ 20 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएटीएस के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में सहायता के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर स्थित आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय में एक विस्तार कार्यालय भी स्थापित किया गया है।
